कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिनमें घूस लेने, स्टाक के दुर्विनियोजन और ठीक तरह से न तोलने आदि के बारे में आरोप लगाये गये होते हैं ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने शिकायतों की जांच करने और क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन की अचानक जांच करने के लिए विशेष स्क्वाड गठित किये हैं । इन स्क्वाडों की रिपोर्टों की जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है वहां कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

Fishing agreement with Sri Lanka and Pakistan

*402. SHRI A. NEELALOHITHADASAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Union Government have entered into any fishing agreement with Sri Lanka and Pakistan in respect of fishing in the Arabian Sea and the Indian Ocean; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SRHI R.V. SWAMINATHAN): (a) and (b). In the context of the Agreement between India and Sri Lanka on Maritime Boundary in the Gulf of Mannar and the Bay of Bengal and Related Matters signed on the 23rd March, 1976, the Government of India came to an understanding with Sri Lanka on fishing. It was *interalia* agreed that Sri Lanka fishing vessels not exceeding six, duly licensed by the Government of India might engage in fishing in the Wadge Bank area for a period of three years ending on the 14th January, 1980. It was also agreed that their fish catch shall not exceed 2000 tonnes in any one year.

There is no fishing agreement with Pakistan.

धान की वसूली

*405. श्री दया राम शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने सभी क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों को अधिकार दिया है कि यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि धान में नमी है तो किसान को धान के प्रति क्विंटल निर्धारित वसूली मूल्य से 5 रुपये कम अदा करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को धान के प्रति क्विंटल निर्धारित मूल्य से सदैव 5 रुपये कम मिलते रहेंगे;

(ग) क्या चावल मिलों को ऐसे आदेश हैं कि यदि धान प्रति क्विंटल 5 किलोग्राम कम हो तो भी वे उसे स्वीकार करें और इस बारे में निर्धारित अनुपात के अनुसार चावल की वसूली दें; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख). हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, जोकि धान/चावल की वसूली करते हैं और उसे केन्द्रीय पूल में देते हैं, से प्राप्त सूचनानुसार यह विदित होता है कि केवल उत्तर प्रदेश ने ही 15 नवम्बर तक 5.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर और 15 दिसम्बर तक 3.00 रुपये प्रति क्विंटल